

राज्य अधिनियमों के अनुसार संपत्ति कर उपबंधों का सारांश

मानदंड	राज्य अधिनियमों की संख्या जिनमें संबद्ध उपबंध हैं	राज्यों का नाम
संपत्तियों की गणना : संपत्ति रजिस्ट्रों का सृजन एवं रखरखाव		
संपत्ति रजिस्ट्रों का आवधिक रूप से संसोधन	19	1. आंध्र प्रदेश (केवल नगर निगम) 2. छत्तीसगढ़ 3. गोवा 4. गुजरात 5. हरियाणा (केवल नगर निगम) 6. हिमाचल प्रदेश 7. जम्मू और कश्मीर 8. कर्नाटक (केवल नगर निगम) 9. केरल 10. मध्य प्रदेश 11. ओडिशा 12. तमिलनाडु (केवल नगर पालिकाएँ) 13. उत्तर प्रदेश 14. उत्तराखंड 15. पश्चिम बंगाल 16. मेघालय 17. सिक्किम 18. नागालैंड 19. मणिपुर
मूल्य-निर्धारण		
मूल्य-निर्धारण के पूंजी मूल्य-निर्धारण विधि का अनुपालन करना	2	1. कर्नाटक (बैंगलूरु को छोड़कर, सभी शहरी स्थानी निकाय) 2. नागालैंड
यूनिट क्षेत्रफल मूल्य-निर्धारण विधि का अनुपालन करना	9	1. गुजरात 2. हिमाचल प्रदेश 3. जम्मू और कश्मीर 4. केरल 5. दिल्ली 6. ओडिशा 7. मिजोरम 8. त्रिपुरा 9. सिक्किम
मूल्य-निर्धारण की वार्षिक किराया मूल्य विधि का अनुपालन करना	12	1. आंध्र प्रदेश 2. बिहार 3. छत्तीसगढ़ 4. गोवा 5. हरियाणा 6. झारखंड 7. मध्य प्रदेश 8. तमिलनाडु 9. उत्तर प्रदेश 10. उत्तराखंड 11. असम (गुवाहाटी नगर निगम अधिनियम) 12. मेघालय
मूल्य-निर्धारण की न्यूनतम दर प्रणाली	1	1. पंजाब
मूल्य-निर्धारण कार्यप्रणाली के लिए बहु-विकल्प उपलब्ध कराना	4	1. महाराष्ट्र (पूंजीगत मूल्य या वार्षिक किराया मूल्य) 2. राजस्थान (यूनिट एरिया आधारित विधि या किसी अन्य विधि द्वारा) 3. तेलंगाना (पूंजीगत मूल्य या वार्षिक किराया मूल्य या कोई भी निर्दिष्ट विधि) 4. पश्चिम बंगाल (वार्षिक किराया मूल्य या पूंजीगत मूल्य जहाँ वार्षिक किराया मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता)

मानदंड	राज्य अधिनियमों की संख्या जिनमें संबद्ध उपबंध हैं	राज्यों का नाम
राज्य अधिनियम, जहां मूल्य निर्धारण कार्यप्रणाली स्पष्ट नहीं है या उसका वर्णन नहीं किया गया है।	2	1. मणिपुर (स्पष्ट नहीं) 2. अरुणाचल प्रदेश (वर्णन नहीं किया गया है)
अधिनियम संपत्ति कर की न्यूनतम दर को परिभाषित करता है	13	1. आंध्र प्रदेश (केवल नगर निगम) 2. बिहार 3. छत्तीसगढ़ 4. गुजरात (केवल नगर निगम) 5. हरियाणा 6. हिमाचल प्रदेश 7. कर्नाटक 8. केरल 9. मध्य प्रदेश 10. ओडिशा 11. तमिलनाडु (केवल चेन्नई) 12. उत्तर प्रदेश (केवल नगर निगम) 13. उत्तराखंड (केवल नगर निगम)
कर दरों का आवधिक संशोधन	3	1. झारखंड 2. कर्नाटक 3. केरल

संपत्ति कर बोर्ड/नगरपालिका मूल्य-निर्धारण समितियां

संपत्ति कर बोर्ड की मौजूदगी	17	1. आंध्र प्रदेश (केवल नगर पालिकाएं) 2. बिहार 3. जम्मू और कश्मीर 4. झारखंड 5. कर्नाटक (केवल नगर निगम) 6. महाराष्ट्र (केवल नगर निगम) 7. दिल्ली 8. ओडिशा 9. तमिलनाडु 10. तेलंगाना 11. पश्चिम बंगाल 12. मेघालय 13. मिजोरम 14. त्रिपुरा 15. सिक्किम 16. नागालैंड 17. मणिपुर
संपत्ति कर बोर्ड के कार्यों को राज्य अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है	16	तेलंगाना को छोड़कर, उन सभी राज्यों में वर्णित है, जहां संपत्ति कर बोर्ड मौजूद हैं

संपत्ति कर का निर्धारण

स्व-निर्धारण के लिए प्रावधान	16	1. बिहार 2. पंजाब 3. छत्तीसगढ़ 4. हरियाणा 5. जम्मू और कश्मीर 6. झारखंड 7. कर्नाटक (केवल नगर पालिकाएं) 8. मध्य प्रदेश 9. दिल्ली 10. ओडिशा 11. तेलंगाना 12. उत्तर प्रदेश 13. उत्तराखंड 14. पश्चिम बंगाल 15. मिजोरम 16. सिक्किम
निर्धारण (स्व-निर्धारण या नगरपालिका/नगर निगम द्वारा किया गया निर्धारण) की लेखापरीक्षा के लिए प्रक्रिया	1	1. गोवा (केवल नगरपालिकाओं में)

मानदंड	राज्य अधिनियमों की संख्या जिनमें संबद्ध उपबंध हैं	राज्यों का नाम
स्व-निर्धारणों को विलंब से प्रस्तुत करने हेतु दंड का प्रावधान	11	1. बिहार 2. पंजाब 3. छत्तीसगढ़ 4. हरियाणा 5. जम्मू और कश्मीर 6. झारखंड 7. मध्य प्रदेश (केवल नगर पालिकाएं) 8. दिल्ली 9. तेलंगाना 10. उत्तर प्रदेश (केवल नगर निगम) 11. उत्तराखंड (केवल नगर निगम)
बिलिंग एवं संग्रहण		
राजस्व व्यय के आकलन के लिए छूट दी गई संपत्तियों के संपत्ति कर परिकलन करने हेतु प्रावधान की संभाव्यता	0	
बिलिंग एवं संग्रह		
संपत्ति कर संग्रह डाटा या डिफॉल्टर के डाटा के प्रकटन के लिए प्रावधान	0	
भुगतान नहीं करने या विलंब से करने के लिए दंड का प्रावधान	19	1. पंजाब 2. गुजरात (केवल नगर निगम) 3. हरियाणा (केवल नगर निगम) 4. हिमाचल प्रदेश (केवल नगर निगम) 5. कर्नाटक 6. मध्य प्रदेश (केवल नगरपालिकाएँ) 7. दिल्ली 8. ओडिशा 9. तमिलनाडु (केवल चेन्नई नगर निगम) 10. तेलंगाना 11. उत्तर प्रदेश (केवल नगर निगम) 12. उत्तराखंड (केवल नगर निगम) 13. पश्चिम बंगाल 14. मेघालय 15. गुवाहाटी नगर निगम 16. अरुणाचल प्रदेश 17. मिजोरम 18. त्रिपुरा 19. नागालैंड

स्रोत : जनग्रह द्वारा किया गया अध्ययन

राज्य-वार अनुदानों के आकलन के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली

		अवार्ड अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति वर्ष अनुदान					करोड़ रुपए में
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान
स्टेप-1		67015	69421	71240	75453	74731	357860
स्टेप-2	आरएलबी और यूएलबी की हिस्सेदारी						
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान
		(आरएलबी:यूएलबी 67:33)	(आरएलबी:यूएलबी 67:33)	(आरएलबी:यूएलबी 66:34)	(आरएलबी:यूएलबी 66:34)	(आरएलबी: यूएलबी 65:35)	
		आरएलबी यूएलबी	आरएलबी यूएलबी	आरएलबी यूएलबी	आरएलबी यूएलबी	आरएलबी यूएलबी	आरएलबी यूएलबी
		44901 22114	46513 22908	47018 24222	49800 25653	48573 26158	236805 121055
स्टेप-3	आबादी के लिए 90 प्रतिशत और क्षेत्रफल के लिए 10 प्रतिशत भारांक के आधार पर सभी राज्यों की पारस्परिक हिस्सेदारी						
स्टेप-4	आरएलबी और यूएलबी हेतु प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक वर्ष अनुदानों को स्टेप 3 में इंगित हिस्सेदारी के आधार पर निर्धारित किया गया है।						
स्टेप-5	प्रत्येक राज्य के भीतर यूएलबी अनुदानों को मिलियन-प्लस एवं मिलियन-प्लस शहरों के अलावा अन्य शहरों के बीच उनकी संबंधित आबादी के आधार पर पुनःविभाजित किया गया है।						

उदाहरण - उत्तर प्रदेश

		अवार्ड अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति वर्ष अनुदान					करोड़ रुपए में
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान
स्टेप-1		67015	69421	71240	75453	74731	357860
स्टेप-2	आरएलबी और यूएलबी की हिस्सेदारी						
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान
		(आरएलबी:यूएलबी 67:33)	(आरएलबी:यूएलबी 67:33)	(आरएलबी:यूएलबी 66:34)	(आरएलबी:यूएलबी 66:34)	(आरएलबी:यूएलबी 65:35)	
		आरएलबी यूएलबी	आरएलबी यूएलबी	आरएलबी यूएलबी	आरएलबी यूएलबी	आरएलबी यूएलबी	आरएलबी यूएलबी
		44901 22114	46513 22908	47018 24222	49800 25653	48573 26158	236805 121055
स्टेप-3	आबादी के लिए 90 प्रतिशत और क्षेत्रफल के लिए 10 प्रतिशत भारांक के आधार पर सभी राज्यों की पारस्परिक हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी - 16.052						
स्टेप-4	आरएलबी और यूएलबी हेतु प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक वर्ष अनुदानों को स्टेप 3 में इंगित हिस्सेदारी के आधार पर निर्धारित किया गया है।						
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान
		(आरएलबी:यूएलबी 67:33)	(आरएलबी:यूएलबी 67:33)	(आरएलबी:यूएलबी 66:34)	(आरएलबी:यूएलबी 66:34)	(आरएलबी:यूएलबी 65:35)	
		आरएलबी यूएलबी	आरएलबी यूएलबी	आरएलबी यूएलबी	आरएलबी यूएलबी	आरएलबी यूएलबी	आरएलबी यूएलबी
		7208 3550	7466 3677	7547 3888	7994 4118	7797 4199	38012 19432

स्टेप-5 प्रत्येक राज्य के भीतर यूएलबी अनुदानों को मिलियन-प्लस एवं मिलियन-प्लस शहरों के अलावा अन्य शहरों के बीच उनकी संबंधित आबादी के आधार पर पुनः विभाजित किया गया है।

आबादी मिलियन में		
मिलियन-प्लस शहरों की आबादी	मिलियन-प्लस के अलावा शहर	कुल आबादी
14.03 (क)	32.1(ख)	46.1(ग)

उत्तर प्रदेश	अनुदान करोड़ रुपए में					कुल
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	
कुल यूएलबी अनुदान (घ)	3550	3677	3888	4118	4199	19432
मिलियन-प्लस #	1080	1119	1183	1253	1278	5913
मिलियन-प्लस के अलावा###	2470	2558	2705	2865	2921	13519

#क/ग*घ

ख/ग*घ

आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों की हिस्सेदारी

राज्य	आबादी 2011 (मिलियन में)	क्षेत्रफल ('000 वर्ग कि.मी.)	आबादी अंश	क्षेत्रफल अंश	राज्य-वार अंश (आरएलबी)	राज्य-वार अंश (यूपएलबी)
आंध्र प्रदेश	49.58	162.92	4.21	5.33	4.32	4.32
अरुणाचल प्रदेश	1.38	83.74	0.12	2.74	0.38	0.38
असम	31.21	78.44	2.65	2.57	2.64	2.64
बिहार	104.10	94.16	8.84	3.08	8.26	8.26
छत्तीसगढ़	25.55	135.19	2.17	4.43	2.39	2.39
गोवा	1.46	3.70	0.12	0.12	0.12	0.12
गुजरात	60.44	196.24	5.13	6.43	5.26	5.26
हरियाणा	25.35	44.21	2.15	1.45	2.08	2.08
हिमाचल प्रदेश	6.86	55.67	0.58	1.82	0.71	0.71
झारखंड	32.99	79.72	2.80	2.61	2.78	2.78
कर्नाटक	61.10	191.79	5.19	6.28	5.29	5.29
केरल	33.41	38.85	2.84	1.27	2.68	2.68
मध्य प्रदेश	72.63	308.25	6.16	10.09	6.56	6.56
महाराष्ट्र	112.37	307.71	9.54	10.07	9.59	9.59
मणिपुर	2.86	22.33	0.24	0.73	0.29	0.29
मेघालय	2.97	22.43	0.25	0.73	0.30	0.30
मिजोरम	1.10	21.08	0.09	0.69	0.15	0.15
नागालैंड	1.98	16.58	0.17	0.54	0.21	0.21
ओडिशा	41.97	155.71	3.56	5.10	3.72	3.72
पंजाब	27.74	50.36	2.35	1.66	2.29	2.29
राजस्थान	68.55	342.24	5.82	11.21	6.36	6.36
सिक्किम	0.61	7.10	0.05	0.23	0.07	0.07
तमिलनाडु	72.15	130.06	6.12	4.26	5.94	5.94
तेलंगाना	35.00	112.12	2.97	3.67	3.04	3.04
त्रिपुरा	3.67	10.49	0.31	0.34	0.31	0.31
उत्तर प्रदेश	199.81	240.93	16.96	7.89	16.05	16.05
उत्तराखंड	10.09	53.48	0.86	1.75	0.95	0.95
पश्चिम बंगाल	91.28	88.75	7.75	2.91	7.26	7.26
सभी राज्य	1178.19	3054.27	100.00	100.00	100.00	100.00

ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्ष-वार अनुदान

अनुलग्नक 7.4
(पैरा 7.62, 7.93)

(करोड़ रुपए में)

	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		कुल	
	(आएलबी:यूएलबी 67:33)		(आएलबी:यूएलबी 67:33)		(आएलबी:यूएलबी 66:34)		(आएलबी:यूएलबी 66:34)		(आएलबी:यूएलबी 65:35)			
राज्य	अनुदान आएलबी	अनुदान यूएलबी	अनुदान आएलबी	कुल यूएलबी								
आंध्र प्रदेश	1939	956	2010	990	2031	1046	2152	1109	2099	1130	10231	5231
अरुणाचल प्रदेश	170	84	177	87	179	92	189	97	185	99	900	459
असम	1186	584	1228	605	1241	640	1315	677	1283	691	6253	3197
बिहार	3709	1827	3842	1892	3884	2001	4114	2119	4012	2160	19561	9999
छत्तीसगढ़	1075	530	1114	549	1125	580	1192	614	1163	627	5669	2900
गोवा	55	27	57	28	58	30	62	32	61	32	293	149
गुजरात	2362	1163	2446	1205	2473	1274	2619	1349	2555	1376	12455	6367
हरियाणा	935	461	968	477	979	504	1036	534	1011	544	4929	2520
हिमाचल प्रदेश	317	156	329	162	332	171	352	181	343	185	1673	855
झारखंड	1249	615	1293	637	1307	674	1385	713	1351	728	6585	3367
कर्नाटक	2377	1171	2463	1213	2490	1282	2637	1358	2572	1385	12539	6409
केरल	1203	592	1246	613	1260	649	1334	687	1301	701	6344	3242
मध्य प्रदेश	2944	1450	3050	1502	3083	1588	3265	1682	3185	1716	15527	7938
महाराष्ट्र	4307	2121	4461	2197	4510	2323	4776	2461	4659	2509	22713	11611
मणिपुर	131	64	135	67	137	71	145	75	142	76	690	353
मेघालय	135	66	140	69	141	73	149	77	146	78	711	363
मिजोरम	69	34	71	35	72	37	76	39	74	40	362	185
नागालैंड	92	45	96	47	97	50	102	53	99	54	486	249
ओडिशा	1669	822	1728	851	1747	900	1851	953	1805	972	8800	4498
पंजाब	1026	505	1062	523	1074	553	1138	586	1110	597	5410	2764
राजस्थान	2854	1406	2957	1456	2989	1540	3166	1631	3087	1663	15053	7696
सिक्किम	31	15	33	16	33	17	35	18	33	18	165	84
तमिलनाडु	2666	1313	2761	1360	2791	1438	2957	1523	2884	1553	14059	7187
तेलंगाना	1365	672	1415	697	1430	737	1514	780	1477	796	7201	3682
त्रिपुरा	141	70	147	72	148	76	157	81	153	82	746	381
उत्तर प्रदेश	7208	3550	7466	3677	7547	3888	7994	4118	7797	4199	38012	19432
उत्तराखंड	425	209	440	217	445	229	471	243	458	247	2239	1145
पश्चिम बंगाल	3261	1606	3378	1664	3415	1759	3617	1863	3528	1900	17199	8792
सभी राज्य	44901	22114	46513	22908	47018	24222	49800	25653	48573	26158	236805	121055

अनुलग्नक 7.5
(भारत 7.128)

शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष-वार अनुदान

(करोड़ रुपए में)

ग्रहण विन आयोग

राज्य	श्रेणी I					कुल अनुदान	श्रेणी II (मिलियन प्लस शहरों के अलावा)					कुल
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	
आंध्र प्रदेश	204	211	223	237	241	1116	752	779	823	872	889	4115
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	84	87	92	97	99	459
असम	0	0	0	0	0	0	584	605	640	677	691	3197
बिहार	309	320	338	358	365	1690	1518	1572	1663	1761	1795	8309
छत्तीसगढ़	163	169	178	189	193	892	367	380	402	425	434	2008
गोवा	0	0	0	0	0	0	27	28	30	32	32	149
गुजरात	612	634	671	710	724	3351	551	571	603	639	652	3016
हरियाणा	74	76	81	85	87	403	387	401	423	449	457	2117
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	156	162	171	181	185	855
झारखंड	241	249	264	279	285	1318	374	388	410	434	443	2049
कर्नाटक	421	436	461	488	498	2304	750	777	821	870	887	4105
केरल	256	265	281	297	303	1402	336	348	368	390	398	1840
मध्य प्रदेश	452	468	495	524	535	2474	998	1034	1093	1158	1181	5464
महाराष्ट्र	1199	1242	1313	1391	1418	6563	922	955	1010	1070	1091	5048
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	64	67	71	75	76	353
मेघालय	0	0	0	0	0	0	66	69	73	77	78	363
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	34	35	37	39	40	185
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	45	47	50	53	54	249
ओडिशा	0	0	0	0	0	0	822	851	900	953	972	4498
पंजाब	135	140	148	157	160	740	370	383	405	429	437	2024
राजस्थान	425	440	466	493	503	2327	981	1016	1074	1138	1160	5369
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	15	16	17	18	18	84
तमिलनाडु	420	435	460	487	497	2299	893	925	978	1036	1056	4888
तेलंगाना	354	367	388	411	419	1939	318	330	349	369	377	1743
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	70	72	76	81	82	381
उत्तर प्रदेश	1080	1119	1183	1253	1278	5913	2470	2558	2705	2865	2921	13519
उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	209	217	229	243	247	1145
पश्चिम बंगाल	633	656	693	734	749	3465	973	1008	1066	1129	1151	5327
सभी राज्य	6978	7227	7643	8093	8255	38196	15136	15681	16579	17560	17903	82859

मिलियन प्लस शहरी एग्लोमरेशन के लिए अनुदान

अनुलग्नक 7.6
(पृष्ठ 7.106)

(करोड़ रुपए)

राज्य/यू.ए.	आबादी (मिलियन में)	कुल अनुदान (करोड़ रुपए में)	एसडब्ल्यूएम एवं स्वच्छता	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	वायु गुणवत्ता ¹	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	3.21	1116	745	136	141	149	158	161	371	68	70	74	79	80
विजयवाड़ा यू.ए.	1.48	514	344	63	65	69	73	74	170	31	32	34	36	37
विशाखापत्तनम	1.73	602	401	73	76	80	85	87	201	37	38	40	43	43
बिहार	2.05	1690	1126	206	213	225	239	243	564	103	107	113	119	122
पटना यू.ए.	2.05	1690	1126	206	213	225	239	243	564	103	107	113	119	122
छत्तीसगढ़	2.18	892	595	109	113	118	126	129	297	54	56	60	63	64
दुर्ग भिलाईनगर यू.ए.	1.06	433	289	53	55	57	61	63	144	26	27	29	31	31
रायपुर यू.ए.	1.12	459	306	56	58	61	65	66	153	28	29	31	32	33
गुजरात	14.16	3351	2235	408	422	448	474	483	1116	204	212	223	236	241
अहमदाबाद यू.ए.	6.36	1504	1003	183	189	201	213	217	501	92	95	100	106	108
राजकोट यू.ए.	1.39	329	219	40	42	44	46	47	110	20	21	22	23	24
सूरत यू.ए.	4.59	1087	725	132	137	145	154	157	362	66	69	72	77	78
वडोदरा यू.ए.	1.82	431	288	53	54	58	61	62	143	26	27	29	30	31
हरियाणा	1.41	403	269	49	51	54	57	58	134	25	25	27	28	29
फरीदाबाद	1.41	403	269	49	51	54	57	58	134	25	25	27	28	29
झारखंड	3.67	1318	879	161	166	176	186	190	439	80	83	88	93	95
धनबाद यू.ए.	1.2	432	289	53	54	58	61	63	143	26	27	29	30	31
जमशेदपुर यू.ए.	1.34	481	321	59	61	64	68	69	160	29	30	32	34	35

¹ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, परिवेशी वायु गुणवत्ता मिलियन प्लस आबादी के साथ आठ एग्लोमरेशन, यानी केरल में कन्नूर, कोच्चि, कोल्लम, कोझीकोड, मलाप्पुरम, तिरुवनंतपुरम एवं त्रिशूर और तमिलनाडु में कोयम्बटूर में कोई समस्या नहीं है। चूंकि ये शहर प्रदूषक प्रदार्थ द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के लिए एनएएमपी थ्रेशहोल्ड से काफी नीचे हैं, उनके कुल अनुदानों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-स्टार-रेटिंग, पेयजल, जल पुनःचक्रण, वर्षा जल संचयन के संबंध में सेवा-स्तरीय बैचमार्को से संबद्ध किया जाएगा।

मिलियन प्लस शहरी एग्लोमरेशन के लिए अनुदान

राज्य/यू.ए.	आबादी (मिलियन में)	कुल अनुदान (करोड़ रुपए में)	एसडब्ल्यूएम एवं स्वच्छता	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	वायु गुणवत्ता ¹	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
रांची यू.ए.	1.13	405	269	49	51	54	57	58	136	25	26	27	29	29
कर्नाटक	8.52	2304	1536	281	291	307	325	332	768	140	145	154	163	166
बृहत बेंगलोर यू.ए.	8.52	2304	1536	281	291	307	325	332	768	140	145	154	163	166
मध्य प्रदेश	6.43	2474	1649	301	311	330	350	357	825	151	157	165	174	178
भोपाल यू.ए.	1.89	726	485	88	91	97	103	106	241	44	46	48	51	52
खालियर यू.ए.	1.1	425	283	52	53	57	60	61	142	26	27	28	30	31
इंदौर यू.ए.	2.17	835	556	102	105	111	118	120	279	51	53	56	59	60
जबलपुर यू.ए.	1.27	488	325	59	62	65	69	70	163	30	31	33	34	35
महाराष्ट्र	29.92	6563	4375	799	827	875	928	946	2188	400	415	438	463	472
औरंगाबाद यू.ए.	1.19	262	175	32	33	35	37	38	87	16	17	17	18	19
ग्रेटर मुंबई यू.ए.	18.39	4031	2687	490	508	537	571	581	1344	246	254	269	285	290
नागपुर यू.ए.	2.5	548	365	67	69	73	77	79	183	33	35	37	39	39
नासिक यू.ए.	1.56	343	228	42	43	46	48	49	115	21	22	23	24	25
पुणे यू.ए.	5.06	1110	740	135	140	148	157	160	370	68	70	74	78	80
वसई-विरार शहर	1.22	269	180	33	34	36	38	39	89	16	17	18	19	19
पंजाब	2.8	740	492	90	93	98	105	106	248	45	47	50	52	54
अमृतसर यू.ए.	1.18	312	207	38	39	41	44	45	105	19	20	21	22	23
लुधियाना	1.62	428	285	52	54	57	61	61	143	26	27	29	30	31
राजस्थान	5.19	2327	1553	284	294	311	328	336	774	141	146	155	165	167
जोधपुर यू.ए.	1.14	510	340	62	64	68	72	74	170	31	32	34	36	37
जयपुर	3.05	1368	913	167	173	183	193	197	455	83	86	91	97	98
कोटा	1	449	300	55	57	60	63	65	149	27	28	30	32	32
तमिलनाडु	13.27	2299	1655	303	313	331	350	358	644	117	122	129	137	139
चेन्नई यू.ए.	8.65	1497	997	183	189	199	211	215	500	91	95	100	106	108
कोयंबटूर यू.ए.	2.13	369	369	67	70	74	78	80						
मदुरै यू.ए.	1.47	254	170	31	32	34	36	37	84	15	16	17	18	18
तिरुचिरापल्ली यू.ए.	1.02	179	119	22	22	24	25	26	60	11	11	12	13	13

मिलियन प्लस शहरी एग्लोमरेशन के लिए अनुदान

राज्य/यू.ए.	आबादी (मिलियन में)	कुल अनुदान (करोड़ रुपए में)	एसडब्ल्यूएम एवं स्वच्छता	2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26					वायु गुणवत्ता ¹	2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26				
				2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
तेलंगाना	7.68	1939	1293	236	245	259	274	279	646	118	122	129	137	140
हैदराबाद यू.ए.	7.68	1939	1293	236	245	259	274	279	646	118	122	129	137	140
उत्तर प्रदेश	14.03	5913	3943	720	746	788	836	853	1970	360	373	395	417	425
आगरा यू.ए.	1.76	742	495	90	94	99	105	107	247	45	47	50	52	53
इलाहाबाद यू.ए.	1.21	510	340	62	64	68	72	74	170	31	32	34	36	37
गाजियाबाद यू.ए.	2.38	1002	668	122	126	134	142	144	334	61	63	67	71	72
कानपुर यू.ए.	2.92	1233	822	150	156	164	174	178	411	75	78	82	87	89
लखनऊ यू.ए.	2.9	1223	815	149	154	162	173	177	408	75	77	82	86	88
मेरठ यू.ए.	1.42	599	400	73	76	80	85	86	199	36	38	40	42	43
वाराणसी यू.ए.	1.43	604	403	74	76	81	85	87	201	37	38	40	43	43
पश्चिम बंगाल	15.3	3465	2310	422	437	462	489	500	1155	211	219	231	245	249
आसनसोल यू.ए.	1.24	283	189	34	36	38	40	41	94	17	18	19	20	20
कोलकाता यू.ए.	14.06	3182	2121	388	401	424	449	459	1061	194	201	212	225	229
केरल	12.14	1402	1402	256	265	281	297	303						
कन्नूर यू.ए.	1.64	189	189	35	36	38	39	41						
कोच्चि यू.ए.	2.12	245	245	45	46	49	52	53						
कोल्लम यू.ए.	1.11	128	128	23	24	26	27	28						
कोझिकोड यू.ए.	2.03	235	235	43	44	47	50	51						
मलप्पुरम यू.ए.	1.7	196	196	36	37	39	42	42						
तिरुवनंतपुरम यू.ए.	1.68	194	194	35	37	39	41	42						
त्रिशूर यू.ए.	1.86	215	215	39	41	43	46	46						
कुल	141.9	38196	26057	4761	4928	5212	5522	5634	12139	2217	2299	2431	2571	2621

राज्य-वार छावनी बोर्ड

क्र. सं.	राज्य का नाम	छावनी का नाम	2011 की जनगणना के अनुसार आबादी के आंकड़े
1	बिहार	दानापुर	28149
2	गुजरात	अहमदाबाद	14345
3	हरियाणा	अंबाला	55370
4	हिमाचल प्रदेश	बकलोह	1805
		डगशाई	2904
		डलहौजी	3549
		जुतोघ	2062
		कसीली	3885
		खस्योल	12028
		सुबाथू	3685
5	झारखंड	रामगढ़	88781
6	कर्नाटक	बेलगाम	19411
7	केरल	कैन्नूर	4798
8	मध्य प्रदेश	जबलपुर	72257
		महू	69281
		मोरार	48464
		पचमढ़ी	12062
		सागर	32475
9	महाराष्ट्र	अहमदनगर	28986
		औरंगाबाद	18051
		देहु रोड	48961
		देवलाली	54027
		कैम्पटी	12457
		किरकी	70399
		पुणे	71831
10	मेघालय	शिलांग	11919
11	पंजाब	अमृतसर	10410
		फिरोजपुर	53199
		जालंधर	47845
12	राजस्थान	अजमेर	3530
		नसीराबाद	50804
13	तमिलनाडु	सेंट थॉमस माउंट	43795
		वेलिंगटन	19462
14	तेलंगाना	सिकंदराबाद	217910
15	उत्तर प्रदेश	आगरा	53137
		इलाहाबाद	39684
		बबीना	27852
		बरेली	30005
		फैजाबाद	12391
		फतेहगढ़	14786
		झांसी	28343
		कानपुर	108534
		लखनऊ	63003
		मथुरा	25603
		मेरठ	93684
		शाहजहाँपुर	18116
		वाराणसी	14119

अनुलग्नक 7.7
(पैरा 7.134)

क्र.सं.	राज्य का नाम	छावनी का नाम	2011 की जनगणना के अनुसार आबादी के आंकड़े
16	उत्तराखण्ड	अलमोड़ा	2231
		चक्राता	5117
		क्लेमेंट टाउन	22577
		देहरादून	52716
		लेन्दोर	3543
		लैंसडाउन	5667
		नैनीताल	1398
		रानीखेत	18886
		रुड़की	14356
17	पश्चिम बंगाल	बैरकपुर	17322
		जलपहाड़	1711
		लेबोंग	1397
कुल			1915075

वायु गुणवत्ता मानदंडों की निगरानी और वित्तपोषण के लिए फ्रेमवर्क

- क. प्रदूषण निगरानी क्रियाविधि का सुदृढीकरण
- ख. वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण
- ग. कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन
- घ. वायु गुणवत्ता में सुधार का मापन

नोट : उपरोक्त मानदंडों हेतु कार्यकलापों के संघटक/एलीमेंट्स अनुलग्नक 7.8 में दिए गए हैं।

तालिका : 1 शहर के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए सापेक्ष भारांक

मानदंड	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
प्रदूषण निगरानी क्रियाविधि का सुदृढीकरण	10	-	-	-	-
वायु प्रदूषण के स्रोत-वार कारक विश्लेषण	10	-	-	-	-
कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन	10	-	-	-	-
वायु गुणवत्ता में सुधार का मापन	70	100	100	100	100
कुल	100	100	100	100	100

तालिका 2 : शहरों के लिए निधि का आवंटन (निष्पादन आधारित)

शहर का स्कोर	आगामी वर्षों में निधि आवंटन (%) 2021-2022 से
80-100	100
60-80	75
50-60	50
40-50	25
40 से कम	शून्य

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संघटक

क. प्रदूषण निगरानी क्रियाविधि का सुदृढ़ीकरण

- i. वायु गुणवत्ता निगरानी (एक्यूएम) प्रकोष्ठ को कार्यशील बनाना।
- ii. आईटी-समर्थित वायु गुणवत्ता डाटा प्रबंधन प्रणाली।
- iii. लोक शिकायत निवारण पोर्टल, आपातकालीन रिस्पोंस एवं जागरूकता कार्यक्रम तथा शहर की कार्य योजनाओं की समीक्षा और प्रगति सहित समन्वय समिति द्वारा समीक्षा करना।

ख. वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण

- i. संवेदनशील स्थानों सहित वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करने हेतु वायु गुणवत्ता प्रोफाइलिंग।
- ii. सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी और एक उत्कृष्ट एमीशन इन्वेंट्री की स्थापना और ट्रेकिंग सिस्टम।
- iii. आईटी आधारित एमीशन इन्वेंट्री सिस्टम का विकास।

ग. कार्ययोजनाओं की प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन

- i. कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन और अपडेशन।
- ii. वाहनों के लिए पीयूसी की निगरानी।
- iii. अवसंरचना योजना और उसकी स्थापना (CAAQMS / मेनुअल AQMs)।

घ. वायु गुणवत्ता सुधारों का मापन और मूल्यांकन

- i. वायु प्रदूषण स्तरों में गिरावट (प्रदूषक प्रदार्थ) (ब्यौरा अनुलग्नक 7.8 ख पर है)।
- ii. एक्यूआई स्तरों को पार करने की आवृत्ति (अनुलग्नक 7.8 ख)।

अनिवार्य कार्यकलाप / शर्तें :

- i. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) मूल्यांकन।
- ii. यूएलबी वेबसाइट पर डेडिकेटेड लिंक और भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, डाटा और सावर्जनिक पटल पर अन्य पहलुओं की रिपोर्टिंग।
- iii. जनसाधारण तक डाटा का प्रसार।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के तत्व

'D' के लिए मिश्रित निष्पादन कारक का निर्धारण करने के लिए मानदंड

I. प्रदूषक पदार्थ

1. अंतर्राष्ट्रीय रीति के आधार पर, किसी शहर की वायु गुणवत्ता की मूल विशेषताओं को परिलक्षित करने हेतु 98 प्रतिशत मान (वैल्यू) पर विचार किया जा सकता है और इस मान में कोई गिरावट सुधार का सूचक होगा।
2. वर्ष के सभी सामान्य दिनों में पाई गई अधिकतम PM सघनता (PM₉₈) के 90 प्रतिशत मान से कम प्रतिशत गिरावट को निम्न प्रकार ग्रेड किया जाएगा:

तालिका क

क्र. सं.	गिरावट (%) रेंज (PM ₉₈)	सुधार
1	15 और इससे अधिक	उच्च
2	<15	न्यून

3. सामान्य दिवसों को प्रत्येक शहर द्वारा प्रत्येक मौसम के लिए महत्वपूर्ण मौसम विज्ञान मानदंडों के सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर मौसम विज्ञान विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

II. एक्यूआई स्तर

1. प्रति वर्ष निगरानी किए गए कुल सामान्य दिवसों की कुल संख्या में से एक्यूआई (मध्यम सीमा-200) को पार करने वाले दिनों की ग्रेडिंग निम्न प्रकार की जाएगी :
2. अच्छे दिन - AQI < 200;

तालिका ख

क्र. सं.	अच्छे दिनों में बढ़ोतरी (%)	सुधार
1	15 और इससे अधिक	उच्च
2	<15	न्यून

एक्यूआई की निगरानी में उन उपयुक्त भारांकों के साथ निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, जिन्हें किसी निश्चित शहरी एप्लोमरेशन में वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण के आधार पर निर्धारित किया गया हो:

3. खुले में कूड़ा-कचरा जलाने और कचराभराव स्थलों में जलाए गए कूड़े से निकलने वाले रासायनिक प्रदूषक की निगरानी और एक ऐप का विकास, जिससे नागरिकों को तस्वीरों के साथ रिपोर्टिंग करने की सुविधा मिल सके।
4. प्रत्येक शहर में अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र में रिसाव (प्रोसेस-ट्रेसिंग) का पता लगाना कि अपशिष्ट प्रबंधन में ब्रेकडाउन कहां आया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के तत्त्व

D के लिए मिश्रित निष्पादन कारक

क्र. सं.	गिरावट (%) रेंज (PM _{9.8}) (तालिका 'क' से)	अच्छे दिनों में वृद्धि (%) (तालिका 'ख' से)	निष्पादन कारक
1	उच्च	उच्च	100
2	न्यून	उच्च	75
3	उच्च	न्यून	50
4	न्यून	न्यून	25

सेवा स्तरीय मानदंड (बैचमार्क)
जलापूर्ति
नलों के जरिए जलापूर्ति से कवर किए गए परिवार
प्रति व्यक्ति प्रति दिन आपूर्ति किया गया जल (लीटर में)
गैर-राजस्व जल की आपूर्ति में गिरावट
जल संरक्षण उपाय
वर्षा जल संचयन
जल का पुनः उपयोग/पुनर्चक्रण
जलागमों का पुनरूद्धार
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ भारत मिशन के संधारणीय परिणाम
कूड़ा-कचरा (गारबेज) मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग
सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के लिए जलापूर्ति कवरेज

शहरों की स्टार रेटिंग²

शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग सत्यापन केवल 1,3,5 और 7 स्टार के लिए की गई है। शहरों को ऑनलाइन एमआईएस और शहर की प्रोफाइल पर समस्त डाटा भरना होगा, जिसका बाद में उपयोग ओडीफ/ओडीफ+/ओडीएफ++ सत्यापनों सहित संपूर्ण प्रमाणन तथा स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। शहरों को यह अधिदेश दिया गया है कि वे कुछ निर्धारित मानदंडों एवं मार्किंग कार्यविधि के आधार पर किसी भी स्टार के सापेक्ष स्वयं को घोषित करें। राज्य मिशन निदेशालय से औपचारिक अनुरोध प्राप्त करने के पश्चात, आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ अनुबंधित एजेंसी द्वारा थर्ड पार्टी सत्यापन कराया जाए। औपचारिक अनुरोध की प्राप्ति के बाद प्रथम स्तर के मूल्यांकन में शहरों के दावों तथा उसके समर्थन में दस्तावेजों का डैस्कटॉप मूल्यांकन किया जाता है। किसी शहर के दावों के समर्थन में दिए गए किसी दस्तावेज/डाटा को निरस्त करने से पहले एक टाइम विंडो दी जाती है और शहर के दावे का भौतिक प्रमाणन प्रतिदर्श (sample) आधार पर किया जाता है। जियो टैगिंग के साथ भौतिक प्रमाणन की सभी तस्वीरों/फोटो को पोर्ट्स में अपलोड किया जाता है। डैस्कटॉप मूल्यांकन पूरा होने के पश्चात थर्ड पार्टी एजेंसी शहर में जाकर प्रत्यक्ष रूप से स्थिति का जायजा लेकर उसका प्रमाणन करती है, और किसी शहर को किसी भी स्टार के रूप में सत्यापित करने से पहले नागरिकों द्वारा दी गई फीडबैक के साथ प्रत्येक मानदंड के लिए औचक रूप से लिए गए प्रतिचयनित चैक्स (sampled checks) संचालित करती है।

² आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से इनपुट।

किसी शहर के लिए किसी भी स्टार की घोषणा करने हेतु इस संबंध में कुछ अनिवार्य पूर्व-शर्तें हैं:

- 1-स्टार: वैध ओडीएफ प्रमाणित
- 3-स्टार वैध ओडीएफ + प्रमाणित (अर्थात, सामुदायिक एवं सावर्जनिक शौचालयों की साफ-सफाई तथा उसे कायम रखने की सुनिश्चिता)
- 5-स्टार: वैध ओडीएफ प्रमाणित (अर्थात सामुदायिक एवं सावर्जनिक शौचालयों की साफ-सफाई और उसे कायम रखे जाने और मलीय गाद एवं कीचड़ को सुरक्षित रूप से एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और निपटान को सुनिश्चित करना।)
- 7-स्टार: वैध ओडीएफ-एसएस प्रमाणित।

स्वच्छता संबंधी सभी पहलुओं को समग्र प्रक्रिया में कवर करने हेतु उपरोक्त सभी ओडीएफ प्रमाणन पुनः आवासान और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित गहन प्रोटोकॉल पर आधारित हैं, जिन्हें स्वतंत्र थर्ड पार्टी के माध्यम से प्रमाणित किए जाने के बाद सत्यापित किया जाना है।

विभिन्न घटकों/संकेतकों से संबद्ध विस्तृत स्कोरिंग मैट्रिक्स को नीचे तालिका में दिया गया है। प्रत्येक घटक के अंतर्गत जो मार्किंग की जाती है, उसे विभिन्न पैरामीटरों के अनुपालन स्तर के आधार पर लेवल 1, 2, 3 एवं 4 के विपरीत किया जाता है, और किसी शहर की समग्र मार्किंग का निर्धारण करने हेतु एक उपयुक्त भारांक निर्धारित किया गया है। अनिवार्य, आवश्यक और वांछनीय के लिए कुल अंक/माक्स क्रमशः 1000, 1000 एवं 500 है। प्रत्येक घटक/ संकेतक के लिए एक उपयुक्त भारांक दिया गया है। अनुपालन स्तर के तहत किसी खास घटक हेतु प्राप्त अंक के लिए उपयुक्त भारांक दिया जाएगा। अनिवार्य आवश्यक और वांछनीय के तहत सही पाए गए शहर को तालिका में दिए गए वर्णन के आधार पर पर रखा जाएगा। उपरोक्त प्रत्येक संकेतक को नीचे दर्शाया गया है।

घटक /शर्त अनिवार्य		
वार्ड स्तर पर	M1	घर-घर से कूड़ा एकत्र करना
	M2	वार्ड स्तर पर पृथक करना
	M3	झाड़ू लगाना
	M4	कचरा धानी (Litter bins)
	M5	स्टोरेज बिनस
शहर स्तर पर	M6	अपशिष्ट प्रसंस्करण – गीला अपशिष्ट
	M7	अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता – गीला अपशिष्ट
	M8	अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता – गीला अपशिष्ट
	M9	अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता – सूखा अपशिष्ट
	M10	शिकायत निवारण
आवश्यक		
वार्ड स्तर पर	E1	भारी मात्रा में अपशिष्ट सृजक/जनरेटर
	E2	शास्ति / स्पॉट शास्ति
शहर स्तर पर	E3	शहर स्तर पर पृथककरण
	E4	उपयोगकर्ता शुल्क
	E5	प्लास्टिक पर प्रतिबंध
	E6	नवनिर्माण एवं पुराने निर्माण को गिराना (सी एवं डी) अपशिष्ट संग्रह
	E7	साइंटिफिक लैंडफिल – उपलब्धता एवं उपयोग
	E8	साइंटिफिक लैंडफिल – निपटाया गया अपशिष्ट
	E9 (A)	जल निकायों और आंधी तूफान के साथ आई बरसात वाले नालों में कोई ठोस अपशिष्ट नहीं देखा जाना
E9 (B)	नालों की सफाई हेतु जांच	

घटक/शर्त वांछनीय		
वार्ड स्तर पर	D1	संधारणीयता
शहर स्तर पर	D2	ऑन-साइट गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण
	D3	सी एवं डी अपशिष्ट – स्टोरेज, पृथक्करण, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण
	D4	सी एवं डी अपशिष्ट – सामग्रियों का उपयोग
	D5	कूड़ा फैके जाने वाले स्थल/डम्पसाइट का शोधन

गारबेज मुक्त शहरों के लिए मेट्रिक – स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल				
संकेतक	1 स्टार (***)	3 स्टार (***)	5 स्टार (***)	7 स्टार (***)
अनिवार्य	कम से कम 40% स्कोर	कम से कम 60% स्कोर	कम से कम 85% स्कोर	कम से कम 95% स्कोर
आवश्यक	कम से कम 30% स्कोर	कम से कम 50% स्कोर	कम से कम 80% स्कोर	कम से कम 90% स्कोर
वांछनीय	-लागू नहीं	कम से कम 30% स्कोर	कम से कम 60% स्कोर	कम से कम 80% स्कोर

कुल स्वास्थ्य अनुदान³

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	490	490	514	540	567	2601
अरुणाचल प्रदेश	49	49	51	54	56	259
असम	280	280	293	308	323	1484
बिहार	1133	1133	1190	1249	1312	6017
छत्तीसगढ़	339	339	356	373	392	1799
गोवा	31	31	33	35	37	167
गुजरात	629	629	661	694	728	3341
हरियाणा	305	305	320	335	352	1617
हिमाचल प्रदेश	98	98	103	108	114	521
झारखंड	446	446	469	492	517	2370
कर्नाटक	552	552	579	608	638	2929
केरल	559	559	587	616	647	2968
मध्य प्रदेश	923	923	969	1018	1069	4902
महाराष्ट्र	1331	1331	1397	1467	1541	7067
मणिपुर	44	44	46	49	51	234
मेघालय	59	59	61	64	68	311
मिजोरम	31	31	33	35	36	166
नागालैंड	57	57	60	63	66	303
ओडिशा	462	462	485	510	535	2454
पंजाब	401	401	421	443	465	2131
राजस्थान	833	833	875	918	964	4423
सिक्किम	21	21	22	23	24	111
तमिलनाडु	806	806	846	889	933	4280
तेलंगाना	419	419	441	463	486	2228
त्रिपुरा	85	85	90	94	99	453
उत्तर प्रदेश	1830	1830	1921	2017	2118	9716
उत्तराखंड	150	150	158	165	174	797
पश्चिम बंगाल	829	829	870	914	960	4402
सभी राज्य	13192	13192	13851	14544	15272	70051

³ योगों (totals) का राउंडिंग ऑफ किए जाने के कारण मिलान न हो पाए।

(अनुलग्नक 7.10 क)

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक/डाइग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता-उप केंद्र

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	54.76	54.76	57.50	60.37	63.39	290.78
अरुणाचल प्रदेश	2.84	2.84	2.98	3.13	3.28	15.07
असम	46.93	46.93	49.28	51.74	54.33	249.21
बिहार	157.11	157.11	164.96	173.21	182.02	834.41
छत्तीसगढ़	39.19	39.19	41.15	43.21	45.37	208.11
गोवा	1.61	1.61	1.69	1.78	1.92	8.61
गुजरात	67.49	67.49	70.87	74.41	78.13	358.39
हरियाणा	25.48	25.48	26.75	28.09	29.49	135.29
हिमाचल प्रदेश	15.38	15.38	16.15	16.80	17.81	81.52
झारखंड	49.83	49.83	52.33	54.94	57.69	264.62
कर्नाटक	71.85	71.85	75.44	79.22	83.18	381.54
केरल	39.61	39.61	41.60	43.68	45.86	210.36
मध्य प्रदेश	102.61	102.61	107.74	113.13	118.78	544.87
महाराष्ट्र	103.91	103.91	109.11	114.56	120.29	551.78
मणिपुर	3.95	3.95	4.15	4.36	4.58	20.99
मेघालय	6.05	6.05	6.23	6.68	7.01	32.02
मिजोरम	2.72	2.72	2.86	3.08	3.15	14.53
नागालैंड	3.19	3.19	3.35	3.52	3.69	16.94
ओडिशा	61.72	61.72	64.81	68.05	71.45	327.75
पंजाब	26.23	26.23	27.54	29.11	30.36	139.47
राजस्थान	100.45	100.45	105.47	110.75	116.28	533.40
सिक्किम	1.30	1.30	1.36	1.43	1.50	6.89
तमिलनाडु	64.16	64.16	67.36	70.73	74.27	340.68
तेलंगाना	34.93	34.93	36.68	38.51	40.44	185.49
त्रिपुरा	7.16	7.16	7.61	7.89	8.28	38.10
उत्तर प्रदेश	255.70	255.70	268.48	281.91	296.00	1357.79
उत्तराखंड	13.60	13.60	14.28	14.99	15.74	72.21
पश्चिम बंगाल	97.39	97.39	102.26	107.37	112.74	517.15
सभी राज्य	1457.15	1457.15	1529.99	1606.65	1687.03	7737.97

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता – पीएचसी

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	57.61	57.61	60.49	63.55	66.92	306.18
अरुणाचल प्रदेश	6.96	6.96	7.31	7.68	8.06	36.97
असम	50.65	50.65	53.18	55.84	58.56	268.88
बिहार	172.79	172.79	181.42	190.50	200.22	917.72
छत्तीसगढ़	41.06	41.06	43.11	45.22	47.53	217.98
गोवा	1.17	1.17	1.23	1.29	1.39	6.25
गुजरात	71.88	71.88	75.48	79.25	83.21	381.70
हरियाणा	28.05	28.05	29.45	30.64	32.40	148.59
हिमाचल प्रदेश	28.54	28.54	29.96	31.46	33.04	151.54
झारखंड	52.55	52.55	55.17	57.93	60.83	279.03
कर्नाटक	103.58	103.58	108.76	114.20	119.91	550.03
केरल	49.58	49.58	52.06	54.66	57.39	263.27
मध्य प्रदेश	108.75	108.75	114.18	119.89	125.89	577.46
महाराष्ट्र	111.96	111.96	117.56	123.44	129.61	594.53
मणिपुर	4.38	4.38	4.60	4.83	5.08	23.27
मेघालय	6.04	6.04	6.34	6.46	6.99	31.87
मिजोरम	2.87	2.87	3.02	3.22	3.22	15.20
नागालैंड	6.14	6.14	6.44	6.76	7.10	32.58
ओडिशा	65.50	65.50	68.78	72.41	75.83	348.02
पंजाब	28.88	28.88	30.32	31.84	33.51	153.43
राजस्थान	116.25	116.25	122.06	128.16	134.57	617.29
सिक्किम	1.41	1.41	1.48	1.56	1.64	7.50
तमिलनाडु	69.25	69.25	72.71	76.35	80.17	367.73
तेलंगाना	35.60	35.60	37.49	39.48	41.21	189.38
त्रिपुरा	5.26	5.26	5.63	5.80	6.09	28.04
उत्तर प्रदेश	281.53	281.53	295.61	310.39	325.91	1494.97
उत्तराखंड	12.52	12.52	13.14	13.80	14.49	66.47
पश्चिम बंगाल	106.02	106.02	111.32	116.88	122.73	562.97
सभी राज्य	1626.78	1626.78	1708.30	1793.49	1883.50	8638.85

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक/डाइग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता - यूपीएचसी

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	14.29	14.29	15.21	15.84	16.63	76.26
अरुणाचल प्रदेश	3.07	3.07	3.30	3.38	3.55	16.37
असम	12.66	12.66	13.30	13.96	14.66	67.24
बिहार	43.20	43.20	45.36	47.63	50.01	229.40
छत्तीसगढ़	10.23	10.23	10.74	11.27	11.84	54.31
गोवा	0.24	0.24	0.26	0.27	0.28	1.29
गुजरात	17.63	17.63	18.51	19.44	20.41	93.62
हरियाणा	7.01	7.01	7.36	7.73	8.12	37.23
हिमाचल प्रदेश	4.24	4.24	4.45	4.67	4.91	22.51
झारखंड	13.10	13.10	13.75	14.44	15.16	69.55
कर्नाटक	16.02	16.02	16.82	17.66	18.55	85.07
केरल	11.05	11.05	11.61	12.19	12.80	58.70
मध्य प्रदेश	27.17	27.17	28.53	29.96	31.46	144.29
महाराष्ट्र	27.96	27.96	29.35	30.82	32.36	148.45
मणिपुर	1.12	1.12	1.17	1.23	1.29	5.93
मेघालय	1.51	1.51	1.59	1.67	1.75	8.03
मिजोरम	0.44	0.44	0.46	0.48	0.51	2.33
नागालैंड	1.02	1.02	1.08	1.13	1.19	5.44
ओडिशा	18.36	18.36	19.28	20.24	21.26	97.50
पंजाब	7.21	7.21	7.57	7.95	8.35	38.29
राजस्थान	27.81	27.81	29.20	30.66	32.19	147.67
सिक्किम	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.78
तमिलनाडु	18.75	18.75	19.69	20.67	21.70	99.56
तेलंगाना	8.86	8.86	9.31	9.77	10.26	47.06
त्रिपुरा	1.27	1.27	1.33	1.40	1.47	6.74
उत्तर प्रदेश	70.37	70.37	73.89	77.58	81.46	373.67
उत्तराखंड	3.26	3.26	3.42	3.60	3.78	17.32
पश्चिम बंगाल	26.49	26.49	27.82	29.21	30.67	140.68
सभी राज्य	394.49	394.49	414.51	435.01	456.79	2095.29

ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय अपेक्षाएं

(करोड़ रुपये)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	134.42	134.42	141.14	148.20	155.61	713.79
अरुणाचल प्रदेश	22.94	22.94	24.09	25.29	26.56	121.82
असम	5.31	5.31	5.58	5.86	6.15	28.21
बिहार	49.47	49.47	51.94	54.54	57.27	262.69
छत्तीसगढ़	13.56	13.56	14.24	14.95	15.70	72.01
गोवा	2.41	2.41	2.53	2.66	2.79	12.80
गुजरात	50.31	50.31	52.82	55.46	58.24	267.14
हरियाणा	28.58	28.58	30.00	31.50	33.08	151.74
हिमाचल प्रदेश	1.85	1.85	1.95	2.05	2.15	9.85
झारखंड	24.44	24.44	25.66	26.95	28.29	129.78
कर्नाटक	38.23	38.23	40.15	42.15	44.26	203.02
केरल	30.59	30.59	32.12	33.72	35.41	162.43
मध्य प्रदेश	28.99	28.99	30.44	31.96	33.56	153.94
महाराष्ट्र	70.83	70.83	74.37	78.09	82.00	376.12
मणिपुर	14.09	14.09	14.79	15.53	16.31	74.81
मेघालय	9.25	9.25	9.72	10.20	10.71	49.13
मिजोरम	5.23	5.23	5.49	5.77	6.06	27.78
नागालैंड	14.89	14.89	15.63	16.42	17.24	79.07
ओडिशा	29.08	29.08	30.53	32.06	33.66	154.41
पंजाब	30.18	30.18	31.69	33.28	34.94	160.27
राजस्थान	27.40	27.40	28.77	30.21	31.72	145.50
सिक्किम	6.44	6.44	6.76	7.10	7.45	34.19
तमिलनाडु	77.47	77.47	81.35	85.42	89.69	411.40
तेलंगाना	118.52	118.52	124.45	130.67	137.21	629.37
त्रिपुरा	11.67	11.67	12.26	12.87	13.51	61.98
उत्तर प्रदेश	76.53	76.53	80.36	84.37	88.59	406.38
उत्तराखंड	2.22	2.22	2.33	2.44	2.57	11.78
पश्चिम बंगाल	69.22	69.22	72.69	76.32	80.14	367.59
सभी राज्य	994.12	994.12	1043.85	1096.04	1150.87	5279.00

शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों (यूएचडब्ल्यूसी) के लिए अनुदान

(करोड़ रूपए)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	102.88	102.88	108.02	113.48	119.17	546.43
अरुणाचल प्रदेश	5.24	5.24	5.50	5.78	6.07	27.83
असम	69.93	69.93	73.43	77.10	80.95	371.34
बिहार	185.43	185.43	194.71	204.44	214.66	984.67
छत्तीसगढ़	133.88	133.88	140.58	147.60	154.99	710.93
गोवा	20.48	20.48	21.50	22.58	23.71	108.75
गुजरात	260.73	260.73	273.76	287.45	301.83	1384.50
हरियाणा	139.33	139.33	146.30	153.62	161.30	739.88
हिमाचल प्रदेश	1.41	1.41	1.48	1.56	1.64	7.50
झारखंड	119.21	119.21	125.17	131.42	138.00	633.01
कर्नाटक	122.93	122.93	129.08	135.54	142.31	652.79
केरल	322.22	322.22	338.34	355.25	373.01	1711.04
मध्य प्रदेश	427.83	427.83	449.22	471.68	495.27	2271.83
महाराष्ट्र	774.13	774.13	812.84	853.48	896.16	4110.74
मणिपुर	9.83	9.83	10.32	10.84	11.38	52.20
मेघालय	23.30	23.30	24.47	25.69	26.98	123.74
मिजोरम	12.01	12.01	12.61	13.24	13.90	63.77
नागालैंड	22.61	22.61	23.74	24.93	26.18	120.07
ओडिशा	89.19	89.19	93.65	98.34	103.25	473.62
पंजाब	241.75	241.75	253.83	266.52	279.85	1283.70
राजस्थान	106.49	106.49	111.82	117.41	123.28	565.49
सिक्किम	8.19	8.19	8.60	9.03	9.48	43.49
तमिलनाडु	356.48	356.48	374.30	393.01	412.67	1892.94
तेलंगाना	133.60	133.60	140.28	147.29	154.66	709.43
त्रिपुरा	41.68	41.68	43.76	45.95	48.25	221.32
उत्तर प्रदेश	424.55	424.55	445.83	468.07	491.47	2254.47
उत्तराखंड	81.57	81.57	85.65	89.93	94.42	433.14
पश्चिम बंगाल	287.92	287.92	302.31	317.43	333.30	1528.88
सभी राज्य	4524.80	4524.80	4751.10	4988.66	5238.14	24027.50

भवन रहित उपकेंद्रों, पीएचसी, सीएचसी के लिए अनुदान

(करोड़ रुपये)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	1.17	1.17	1.23	1.29	1.36	6.22
अरुणाचल प्रदेश	1.06	1.06	1.10	1.16	1.22	5.60
असम	13.32	13.32	13.98	14.69	15.41	70.72
बिहार	329.29	329.29	345.6	363.00	381.10	1748.27
छत्तीसगढ़	10.75	10.75	11.28	11.85	12.45	57.08
गोवा	1.54	1.54	1.61	1.70	1.78	8.18
गुजरात	1.17	1.17	1.24	1.29	1.36	6.23
हरियाणा	29.51	29.51	30.97	32.53	34.15	156.67
हिमाचल प्रदेश	2.68	2.68	2.81	2.96	3.11	14.24
झारखंड	118.54	118.54	124.41	130.67	137.19	629.35
कर्नाटक	10.06	10.06	10.56	11.09	11.64	53.41
केरल	0.50	0.50	0.52	0.55	0.58	2.64
मध्य प्रदेश	30.03	30.03	31.52	33.10	34.75	159.44
महाराष्ट्र	50.07	50.07	52.55	55.21	57.96	265.87
मणिपुर	2.03	2.03	2.12	2.24	2.35	10.78
मेघालय	3.21	3.21	3.37	3.54	3.72	17.06
मिजोरम	0.56	0.56	0.58	0.61	0.64	2.95
नागालैंड	1.03	1.03	1.08	1.13	1.19	5.46
ओडिशा	72.83	72.83	76.43	80.28	84.29	386.66
पंजाब	20.26	20.26	21.26	22.33	23.45	107.57
राजस्थान	191.39	191.39	200.87	210.98	221.51	1016.14
सिक्किम	0.53	0.53	0.55	0.58	0.60	2.79
तमिलनाडु	71.21	71.21	74.73	78.50	82.41	378.05
तेलंगाना	2.81	2.81	2.96	3.11	3.26	14.95
त्रिपुरा	0.25	0.25	0.26	0.27	0.29	1.32
उत्तर प्रदेश	333.68	333.68	350.22	367.84	386.18	1771.59
उत्तराखंड	1.43	1.43	1.49	1.57	1.65	7.57
पश्चिम बंगाल	49.04	49.04	51.46	54.05	56.75	260.33
सभी राज्य	1349.95	1349.95	1416.76	1488.12	1562.35	7167.14

ग्रामीण पीएचसी एवं उप-केंद्र (एससी) को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र में परिवर्तित करना

ग्रामीण पीएचसी एवं सीएससी को एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित करने के लिए राज्य-वार आकलित कमियां⁴

राज्य	उप-केंद्र	पीएचसी	लगभग लागत (एचसी से एचडब्ल्यूसी) 9.7 लाख रुपए	लगभग लागत (पीएचसी से एचडब्ल्यूसी) 5.6 करोड़ रुपए	कुल लागत
	संख्या में		(करोड़ रुपए में)		
आंध्र प्रदेश	6825	0	661.66	0	661.66
अरुणाचल प्रदेश	307	101	29.78	5.65	35.43
असम	4015	698	389.46	39.08	428.54
बिहार	9865	1480	956.91	82.87	1039.78
छत्तीसगढ़	4555	657	441.85	36.75	478.61
गोवा	219	0	21.24	0	21.24
गुजरात	8353	704	810.24	39.43	849.67
हरियाणा	2440	193	236.68	10.81	247.49
हिमाचल प्रदेश	2089	566	202.63	31.7	234.33
झारखंड	3644	203	353.47	11.38	364.85
कर्नाटक	9187	1995	891.14	111.73	1002.87
केरल	5380	678	521.86	37.97	559.83
मध्य प्रदेश	10226	1039	991.93	58.19	1050.12
महाराष्ट्र	9729	1349	943.72	75.54	1019.26
मणिपुर	429	85	41.61	4.76	46.37
मेघालय	445	110	43.17	6.15	49.32
मिजोरम	370	57	35.89	3.19	39.08
नागालैंड	377	124	36.57	6.93	43.50
ओडिशा	6595	461	639.72	25.81	665.53
पंजाब	2511	79	243.57	4.42	247.99
राजस्थान	13382	1777	1298.05	99.52	1397.57
सिक्किम	148	24	14.36	1.34	15.70
तमिलनाडु	7728	706	749.62	39.53	789.15
तेलंगाना	4658	0	451.83	0	451.83
त्रिपुरा	932	82	90.40	4.59	94.99
उत्तर प्रदेश	20056	1990	1945.43	111.44	2056.87
उत्तराखंड	1804	243	174.99	13.61	188.60
पश्चिम बंगाल	10195	640	988.92	35.83	1024.75
सभी राज्य	146464	16041	14206.70	898.23	15104.93

⁴ ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018-19

नोट : एससी एवं पीएचसी को एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित करने के लिए अनुमानित लागत को आयुष्मान भारत : स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के माध्यम से समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से लिया गया है।

ग्रामीण पीएचसी एवं एससी को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय अपेक्षाएं

(करोड़ रूपए)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	124.67	124.67	130.55	137.45	144.32	661.66
अरुणाचल प्रदेश	6.67	6.67	7.01	7.36	7.72	35.43
असम	80.70	80.70	84.74	88.98	93.42	428.54
बिहार	195.81	195.81	205.60	215.88	226.68	1039.78
छत्तीसगढ़	90.13	90.13	94.64	99.37	104.34	478.61
गोवा	4.00	4.00	4.20	4.41	4.63	21.24
गुजरात	160.01	160.01	168.01	176.41	185.23	849.67
हरियाणा	46.61	46.61	48.94	51.38	53.95	247.49
हिमाचल प्रदेश	44.13	44.13	46.34	48.65	51.08	234.33
झारखंड	68.71	68.71	72.14	75.75	79.54	364.85
कर्नाटक	188.86	188.86	198.30	208.22	218.63	1002.87
केरल	105.43	105.43	110.70	116.23	122.04	559.83
मध्य प्रदेश	197.76	197.76	207.64	218.03	228.93	1050.12
महाराष्ट्र	191.95	191.95	201.54	211.62	222.20	1019.26
मणिपुर	8.73	8.73	9.17	9.63	10.11	46.37
मेघालय	9.29	9.29	9.75	10.24	10.75	49.32
मिजोरम	7.36	7.36	7.73	8.11	8.52	39.08
नागालैंड	8.19	8.19	8.60	9.03	9.49	43.50
ओडिशा	125.33	125.33	131.6	138.18	145.09	665.53
पंजाब	46.70	46.70	49.04	51.49	54.06	247.99
राजस्थान	263.19	263.19	276.35	290.17	304.67	1397.57
सिक्किम	2.96	2.96	3.10	3.26	3.42	15.70
तमिलनाडु	148.61	148.61	156.04	163.85	172.04	789.15
तेलंगाना	85.09	85.09	89.34	93.81	98.50	451.83
त्रिपुरा	17.89	17.89	18.78	19.72	20.71	94.99
उत्तर प्रदेश	387.35	387.35	406.72	427.05	448.4	2056.87
उत्तराखंड	35.52	35.52	37.29	39.16	41.11	188.60
पश्चिम बंगाल	192.98	192.98	202.63	212.76	223.40	1024.75
सभी राज्य	2844.63	2844.63	2986.49	3136.20	3292.98	15104.93